कार्यालय थानाधिकारी पुलिस थाना रामगंजमंडी जिला कोटा ग्रामीण।

क्रमांकः- 1101 दिनांकः- 17.02.2021

कार्यालय पुलिस उप अधीक्षक
वृत ...
इन्द्राज नं. 914
दिनांक 18/2/21

सेवामें,

श्रीमान पुलिस उप अधीक्षक महोदय

वृत रामगंजमंडी जिला कोटा ग्रामीण।

विषयः- परिवाद द्वारा श्री ज्ञानेश कुमार निवासी एस 1 सैकण्ड फ्लोर झारखण्ड अपार्टमेन्ट खातीपुरा रोड जयपुर के सम्बन्ध में।

प्रसंगः- राज.सम्पर्क के परिवाद क्रमांक 02210679452072 दिनांक 11.02.2021 के संदर्भ में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत एवं प्रसांगिक पत्र के सम्बन्ध में निवेदन है की दिनांक 19.01.2021 को फरियादी श्री हिमांशु आचार्य पुत्र श्याम बिहारी जाति ब्राहम्ण उम्र 27 साल निवासी नारायण टॉकिज के पास रामगंजमण्डी थाना रामगंजमण्डी जिला कोटा नें उपस्थित थाना होकर एक लिखित रिर्पोट इस आशय की पेश की कि मै हिमाशु आचार्य मेरे साथ प्रदीप शाह, अक्षय, अभिषेक, युवराज, अक्षत, दिपक शाह एवं ब्रजेश सभी मिलकर बाजार नम्बर 2 रामगंजमण्डी में मथुरालाल जी हलवाई की दुकान के सामने श्रीराम मन्दिर निधि समर्पण हेतु सम्पर्क कर रहे थे कि आज दिनांक 9.02.21 को समय करीब रात्री 8.30 बजे गोरधननाथ जी मन्दिर की तरफ से दो मोटरसाइकिलो पर करीब छ व्यक्ति सवार होकर आये एक मोटरसाइकिल पर तीन व्यक्ति आगे निकल गये तथा दुसरी बाइक पल्सर नम्बर RJ 33 SG 2618 पर तीन व्यक्ति आशु पाया पुत्र मकसुद पाया मुसलमान, भाविक चावडा पुत्र शान्तिलाल व सुफयान पुत्र शौकत अली मुसलमान ने उसकी गाडी को रोका जिस पर बीच में बैठे आसू पाया ने संघ चालक दीपक शाह पर जान से मारने की नियत से देशी कटटे जैसे हथियार से फायर किया जिससे दीपक शाह के दाहिने पैर के घुटने में एवं बाये पैर की जांघ पर दो गोली लगी, गोली लगने के बाद दीपक शाह नीचे गिर गये। हम लोग दीपक जी को उठाने लगे तो ये लोग उनकी खुद की पल्सर बाईक पर बैठकर भागने लगे तो उनकी बाइक असंतुलित होकर रोड पर फिसल गयी जिससे उनके शरीर पर भी चोटे आ गयी। उसके बाद वे तीनो व्यक्ति वहॉ से भाग गये। कुछ दिन पूर्व दीपक शाह द्वारा आशु पाया के भाई बाबू पाया के विरुध मारपीट का मुकदमा दर्ज करवाया था। जिसमें बाबू पाया जेल चला गया उसी रंजिश को लेकर आशु पाया ने अपने साथियो के साथ मिलकर संघ चालक दीपक शाह के ऊपर जान से मारने की नियत से देशी कटटे जैसे हथियार से फायर किया है।इत्यादि तहरीरी रिर्पोट पर प्रकरण संख्या 91/2021 धारा 341,323,307,34 भा.द.स. में दर्ज कर अनुसंधान प्रारम्भ किया गया।

दौरानें अनुसंधान बयान फरियादी श्री हिमांशु आचार्य व गवाह श्री अभिषेक वाल्मिकी,श्री अक्षय शाह व श्री बृजेश खण्डेलवाल के लेखबध्द कियें गयें।प्रकरण हाजा में वाछिंत मुल्जिमान भाविक चावडा, समीर उर्फ सुफियान को तलाश कर बाद अनुसंधान प्रकरण हाजा में गिरफ्तार किया गया तथा मुख्य आरोपी आशु पाया उर्फ इमरान को घटना के बाद 12 घन्टें में नयागांव थाना रायपुर जिला झालावाड से गिरफ्तार किया जाकर मुल्जिम समीर उर्फ सुफियान से घटना में प्रयुक्त एक मोटरसाईकिल पल्सर बरंग काला नम्बर RJ 33 SG 2618 तथा मुल्जिम समीर उर्फ सुफियान द्वारा वक्त घटना पहनी हुई खून आलूदा शर्ट को बतौर वजह सबूत जप्त एवं शील्ड मोहर किया गया।प्रकरण हाजा में वाछिंत मुल्जिमान राजा उर्फ नासिर व राहिल को तलाश कर बाद अनुसंधान

प्रकरण हाजा में गिरफ्तार किया गया।मुल्जिमान भाविक चावडा, सुफियान व आशु पाया की धारा 27 साक्ष्य अधिनियम की इतला पर फर्द तस्दीक घटनास्थल मूर्तिब किया गया तथा मुल्जिम भाविक चावडा से घटना में प्रयुक्त एक चाकू बरामद किया गया।मुल्जिम आशु पाया उर्फ इमरान से अलाय जरब एक देशी कट्टा तथा मुल्जिम राहिल से एक मोटर साईकिल आर.जे. 20 एक्स एस 8986 को बतौर वजह सबूत जप्त किया गया तथा मुल्जिमान राजा उर्फ नासिर, राहिल द्वारा घटनास्थल की तस्दीक की गयी।मुल्जिमान 1.आशु पाया उर्फ इमरान पुत्र महमूद पाया उम्र 23 साल जातिगण मुसलमान निवासीगण गरीब नवाज कोलोनी रामगंमजंडी थाना रामगंजमंडी जिला कोटा 2 राजा उर्फ नासिर पुत्र मुश्ताक जाति मुसलमान उम्र 22 साल निवासी शीतला माता मन्दिर के पास खैराबाद 3..राहिल पुत्र सिराज उम्र 21 साल जाति मुसलमान निवासी पानी की टंकी के पास मोडक रोड खैराबाद थाना रामगंमजंडी जिला कोटा के विरुध अपराध धारा 143, 341, 323, 307 भा. द. स. व 4/25 आर्म्स एक्ट, 3/25 आर्म्स एक्ट का अपराध प्रमाणित है।अनुसंधान जारी है।उक्त परिवाद के सम्बन्ध में परिवादी श्री ज्ञानेश कुमार निवासी एस 1 सैकण्ड फ्लोर झारखण्ड अपार्टमेन्ट खाती रोड जयपुर जिला जयपुर के कथन लेखबध्द करने हेतु परिवादी के मोबाईल नम्बर 9828346151 पर सम्पर्क करना चाहा तो परिवादी ने बताया की मुझे उक्त परिवाद के सम्बन्ध में कोई बयान नहीं देना है।मुझे तो उक्त घटना के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त करनी है।अतः जांच रिपोर्ट वास्ते अवलोकनार्थ श्रीमान की सेवामें पेश है।

भवदीय

थानाधिकारी थाना रामगंजमंडी

थानाधिकारी
थाना रामगंजमंडी
जिला कोटा ग्रामीण
Ph. No. 0745[illegible]100